इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 मई 2014—ज्येष्ठ 2, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2014

क्र. एफ-बी-4-08-2014-2-पांच-(20).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित लिखतों के संबंध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से पूर्णत: छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

(1) मध्यप्रदेश राज्य में दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर सब-रीजन के अन्तर्गत जिला उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी परियोजना की स्थापना के लिए गठित स्पेशल परपज व्हीकल (एस.पी.व्ही.) कम्पनी को राज्य सरकार के वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि के हस्तांतरण हेतु निष्पादित विलेख पर.

(2) एस.पी.व्ही. कम्पनी द्वारा उक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट विक्रम उद्योगपुरी परियोजना के मास्टर प्लान के निष्पादन के दौरान किसी विकासकर्ता, संविदाकार, निर्माण कम्पनी या संयुक्त उपक्रम को ऐसी भूमि के किसी खण्ड के केवल प्रथम हस्तांतरण के लिए निष्पादित विलेख पर.

स्पष्टीकरण—उपरोक्त खण्ड (2) के अनुसार भूमि के किसी खण्ड के प्रथम हस्तांतरण के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए प्रबन्ध संचालक, ट्रायफेक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2014

क्र. एफ बी-4-08-2014-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-08-2014-2-पांच-(20), दिनांक 23 मई, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd May 2014

No. F. B-4-08-2014-2-V-(20).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, remits in whole the Stamp duty chargeable in respect of the following instruments, namely:—

(1) A deed executed for transfer of land acquired by the Commerce, Industry and Employment Department of the State Government, to the Special Purpose Vehicle (SPV) Company constituted for establishment of Vikram Udyogpuri Project in District Ujjain under Delhi-Mumbai Industrial Corridor sub-region in the State of Madhya Pradesh.

(2) A deed executed only for first transfer of any parcel of such land as specified in clause (1) above by the SPV company, to any developer, contractor, construction company or joint venture in the course of execution of the Master Plan of the Vikram Udyogpuri Project.

Explanation—A certificate from Managing Director, TRIFAC or any other Officer authorised in this behalf shall be accepted for exemption from stamp duty for first transfer of any parcel of land as per clause (2) above.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.